अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

74/2023/75 मु. भगवती v/s सोहन लाल

पेशी	2023/274 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री सूरज सिंह चौहान श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
6/9/23	मु0भगवती बनाम सोहनलाल वगैरह([illegible] / [illegible])	

श्रीसूरज सिंह चौहान एड़वोकेट ने प्रार्थना पत्र वास्ते मिसल तलब एवं करने सुनवाई मूल अपील एवं करने विड्रो मूल अपील अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट के द्वारा अन्तर्गत नियम 14 (4) भू आवंटन नियम 1970 के तहत जिला कलक्टर अजमेर को प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत किया जिसको कलक्टर महोदय अजमेर ने दिनांक 13.03.2009 को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण/अपीलांट ने माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसको दिनांक 11.09.2009 को खारिज फरमा दिया था। उक्त निर्णय/आदेश के पश्चात प्रार्थीगण/अपीलांटस असन्तुष्ट होकर माननीय न्यायालय के समक्ष नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 27.10.2009 को माननीय न्यायालय के द्वारा स्वीकार कर लिया था। तत्पश्चात रेस्पोडेन्टस के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी दिनांक 18.07.2022 को अदम हाजरी में खारिज की जा चुकी है। उक्त अपील में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टस के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने के कारण आज ही विड्रो कर खारिज करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त अपील को आज ही तलब करवायी जाकर आज ही नंबर पर लिया जावें एवं मूल अपील को आज ही विड्रो कर खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि माननीय मण्डल में विचाराधीन निगरानी संख्या 2009/8799 में न्यायालय हाजा की पत्रावली संख्या 254/2009(75/2009) को तलब किया गया था तथा हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2009 को मान्नीय मण्डल में पत्रावली को भिजवाते हुए, अपील को नम्बर से कम कर दी थी। मान्नीय मण्डल के आदेश दिनांक 18.07.2022 को मण्डल में विचाराधीन निगरानी संख्या 2009/8799 अदम हाजरी (पैरवी) में खारिज किये जाने से अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जावें। उपशासन सचिव राजस्व ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना क्रमांकः 1(17)रेवे–6/2019/112 दिनांक 17.10.20219 के द्वारा राजस्व लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर के आदेश के विरूद्ध की जानी वाली प्रथम अपील का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा (राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर) के स्थान पर न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर को किये जाने के फलस्वरूप एवं अधिसूचना में दिये गये आदेशो की अनुपालना में एतद् द्वारा यह पत्रावली मान्नीय संभागीय आयुक्त, अजमेर के न्यायालय को स्थानान्तरित की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

फोटो स्टेट
प्रमाणित प्रतिलिपि

अति. प्रशासनिक अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

CamScanner